

95

संख्या: फिश- ए (8)-1/2024
हिमाचल प्रदेश सरकार,
मत्स्य पालन विभाग।

प्रेषक:

प्रेषित:

सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Directorate of Fisheries

9453
22 OCT 2024

Bilaspur (H.P.)

✓निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य,
हिमाचल प्रदेश,
बिलासपुर-174001।

दिनांक शिमला-2,

14 अक्टूबर, 2024.

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक भेजने वारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या: फिश-ए(8)-6/2021-
Stat-III- 8052, दिनांक 21/09/2024 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि
आपके द्वारा तैयार उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रारूप अनुमोदित कर दिया गया है,
जिसकी एक प्रति वापिस की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई
तदानुसार करते हुये उक्त प्रतिवेदन की 10 स्वच्छ प्रतियाँ इस विभाग को भेजी जाये, ताकि
इसे हिंप्रो विधान सभा को आगामी विधान सत्र के दौरान भेजा जा सके।

P1 do not seal

भवदीया,

dk

dk

D. W. P.

(दक्षा शर्मा)
अवर सचिव (मत्स्य पालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख-रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जल प्रदान किया है जोकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां ब्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियाँ जैसे, गुगली (साइजोथैरैक्स), सुनहरी महाशीर व ट्राऊट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो-नौरवेजियन ट्राऊट फार्मिंग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राऊट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियाँ क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :-

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
|  | शीत जल | : | द्राऊट जल 600 कि०मी० |
|  | सामान्य जल | : | 2400 कि०मी० |
|  | जलाशय जल स्रोत | : | 43785 हैक्टेयर |
|  | तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र : | | 873.69 हैक्टेयर |
|  | ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब : | | 617 हैक्टेयर |

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) व अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक मत्स्य (मु०) के अतिरिक्त 02 उप-निदेशक मत्स्य, 11 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, व 17 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मंत्री, मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, श्री प्रियतू मण्डल, (I.A.S), सचिव (मत्स्य) हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर तथा निदेशालय स्तर पर श्री विवेक चन्द्रेल (I.A.S), निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य व डॉ० विक्रम महाजन (HPAS), अतिरिक्त निदेशक मत्स्य (मु०), श्रीमति चंचल ठाकुर सहायक निदेशक मत्स्य मुख्यालय, डा० सोम नाथ सहायक निदेशक मत्स्य-20 सूत्रीय कार्यक्रम, समस्त तैनात अधिकारी, कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे। केवल जिला

हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर व जिला किन्नौर में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य शिमला के नियंत्रण में देखा जा रहा है तथा जिला लाहौल व स्थिति में विभाग का कोई अधिकारी/तैनात कर्मचारी न होने के कारण विभागीय कार्य का बन मण्डल अधिकारी लाहौल तथा पांगी एवं स्थिति में सहायक निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 में उपलब्ध विभागीय संरचना

| क्रं सं 0 0 | नाम | पदनाम |
|----------------------|--------------------------------|--|
| 1. | श्री सुखविंदर सिंह सुकचू | माननीय मुख्य मन्त्री, मत्स्यपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला। |
| 2. | श्री प्रियतू मण्डल (I.A.S) | सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। |
| 3. | श्री विवेक चन्द्रेल (I.A.S) | निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। |
| 4. | डा० विक्रम महाजन (HPAS) | अतिरिक्त निदेशक मत्स्य (मु०), हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। |
| 5. | श्री भूपेन्द्र कुमार | उप-निदेशक मत्स्य पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि०प्र०। |
| 6. | श्री जय सिंह | सहायक निदेशक मत्स्य, जिला चम्बा, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार) |
| 7. | श्री पंकज ठाकुर | सहायक निदेशक मत्स्य, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 8. | श्री विवेक शर्मा | सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार) |

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 9. | श्री जय सिंह | सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 10. | श्रीमति चंचल ठाकुर | सहायक निदेशक मत्स्य, (मु०) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 11. | डॉ सोम नाथ | सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 12. | डॉ सोम नाथ | सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सोलन, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार) |
| 13. | डॉ सोम नाथ | सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार) |
| 14. | श्री विवेक शर्मा | सहायक निदेशक मत्स्य, जिला ऊना, हि०प्र०। |
| 15. | श्री राम सिंह | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना, हि०प्र०। |
| 16. | श्री अजय कुलदीप | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, जिला हमीरपुर, हि०प्र०। |
| 17. | श्री संदीप कुमार | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 18. | डॉराकेश कुमार | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 19. | श्री अरुण कान्त | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, द्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०। |
| 20. | श्रीमति रिचा गुप्ता | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि०प्र०। |
| 21. | श्री राजेन्द्र पाल | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हि०प्र०। |

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 22. | श्री दुनी चन्द | मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू, हि०प्र०। |
| 23. | श्री सुरेन्द्र कुमार पठियाल | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लठियाणी, जिला ऊना, हि०प्र०। |
| 24. | श्री हितेश कुमार कौण्डल | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 25. | श्री तेजराम | मत्स्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०। |
| 26. | श्री प्रीतम चन्द | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म सुल्तानपुर, जिला चम्बा, हि०प्र०। |
| 27. | श्री मनजीत सिंह | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, नगरोटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 28. | श्री विजय कुमार | मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म थला, जिला चम्बा, हि०प्र०। |
| 29. | श्री प्रदीप कुमार | मत्स्य अधिकारी, भाखड़ा, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 30. | श्री विमल गुलेरिया | मत्स्य अधिकारी, बरोट, जिला मण्डी, हि०प्र०। |
| 31. | श्री विकास चन्द्रा | मत्स्य आवतरण केन्द्र, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 32. | श्री अजय कुमार | मत्स्य अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 33. | श्री राकेश कुमार | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्यू, जिला मण्डी, हि०प्र०। |
| 34. | श्री पंकज पठियाल | मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 35. | श्री नितिन महन्त | मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला, हि०प्र०। |
| 36. | श्रीमति कविता भाटिया | मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 37. | श्री दिलवर सिंह | मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| | | हि०प्र०। |
| 38. | श्री नीलमणि | मत्स्य अधिकारी, जंजैहली, जिला मण्डी, हि०प्र०। |
| 39. | श्री बलजीत सिंह | मत्स्य अधिकारी मत्स्य आवतरण केन्द्र, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 40. | श्री लेख राज | उप निरीक्षक मत्स्य, सांगला, जिला किञ्चौर, हि०प्र०। |
| 41. | श्री सूरम सिंह | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, मान्दली, जिला ऊना, हि०प्र०। |
| 42. | श्री रमेश कुमार | उप निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्धी, जिला शिमला, हि०प्र०। |
| 43. | श्री तेजेन्द्र प्रकाश | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य कार्प फार्म बद्रीपुर, जिला सिरमौर, हि०प्र०। |
| 44. | श्री बजरो राम | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, धमेटा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 45. | श्री मानव कुमार | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, हरीपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 46. | श्री अंकुश धीमान | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बरनाली, जिला कांगड़ा, हि०प्र०। |
| 47. | श्री विवेक कमल | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हि०प्र०। |
| 48. | श्री दीप कुमार | उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन, हि०प्र०। |
| 49. | श्री गोपाल चन्द | उप-निरीक्षक मत्स्य, बटाहर, जिला कुल्लू, हि०प्र०। |
| 50. | श्री मुकेश कुमार | उप-निरीक्षक मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल, जिला मण्डी, हि०प्र०। |



Trout Farm Sangla Distt. Kinnaur

3

वार्षिक योजना 2023-24 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

| क्रं.सं. | मद | वार्षिक योजना 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य | वार्षिक योजना 2023-24 की प्राप्तियां |
|----------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन) | 17618.00 | 17721.64 |
| 2. | कार्प बीज उत्पादन (लाख) | 758.00 | 746.492 |
| 3. | ट्राउट ओवा उत्पादन (लाख) | 20.80 | 15.80 |

Fish Production in MT

17721.64



Achievement in 2023-24

17618



Target for 2023-24

Carp Seed Production in Lakh

Target for 2023-24


758

Achievement in 2023-24

746.492


Trout Ova Production in Lakh

15.8



Achievement in 2023-24

20.8



Target for 2023-24

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी करना।
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना।
- जलाशय तथा नदी-नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में बृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, द्राऊट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना।
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना।
- द्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना।
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में योगदान करना।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना।
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन।
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना।



नदीय मात्स्यकी

जलाशय मात्स्यकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से 27349.17 लाख रुपये मूल्य की 17721.64 टन मछली का उत्पादन किया गया। विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 92.99 लाख रुपये मूल्य की 12.31 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 88.26 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 7636.75 लाख रुपये कीमत की 1388.50 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर चम्बा व सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 6022 (गोविन्दसागर 2511, कोलडैम 145, पौंगडैम 3126, चमोरा 190 व रणजीत सागर 50) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 10.04 करोड़ रुपये मूल्य की 566.03 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।



- विभागीय कार्प फार्मो से वर्ष 2023-24 में 746.492 लाख तथा निजी कार्प फार्मो से 47.00 लाख (कुल 793.492 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया।



- इस वर्ष 2675 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 120.375 लाख रुपये केव्वल भाग मु0-64.29 राज्य भाग मु0-16.05 तथा लाभार्थी का अंशदान मु0-40.125 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2023-24 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 1478.34 लाख रुपये था। इसमें से 102.70 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 52.20 लाख रुपये जन-जातीय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 385 नये योजनाएँ के अवसर प्रदान किए गए।
- वर्ष 2020-21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना (ट्रॉफी पशुधन बीमा योजना) शुरू की है। इस योजना की

प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच सांझा की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि मु0 19,175/- रूपये प्रति इकाई है।

- प्रति वर्ष लगभग 2675 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को दो माह के बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 4500/- रूपये प्रति



मछुआरा की दर से वित्तीय सहायता प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना के घटक “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान

मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

6

वार्षिक योजना 2023-24

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति व हरित क्रान्ति के बाद अब प्रदेश नील कान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है जिसमें प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रमुख योगदान है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2023-24 में 1478.34 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं:



निर्देशन एवं प्रशासन



जलाशय संरक्षण



कार्प बीज उत्पादन



द्राइट बीज उत्पादन



कार्प बीज फार्मों का विस्तार



प्रधान मंत्री मौस्य सम्पदा योजना "PMMSY"



सामुदायिक तालाबों का निर्माण



जनजातीय उप योजना



मात्स्यकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, “नदीय स्त्रोतों में परिघटन मात्रिकी” को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य



उत्पादन का 3.75 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हुआ है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्रिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 156 पद खाली चल रहे हैं।


प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्रिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षण:-

प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिव्ह हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70-100 मि.मी.


आकार से बड़ा मछली का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके भविष्य में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना हैं।



वर्ष 2023-24 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियाँ:-

| जलाशय का नाम | मत्स्य उत्पादन (मी० टन) | राजस्व (लाखों में) | बीज संग्रहण (लाखों में) |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| गोबिन्द सागर | 191.22 | 42.94 | 60.73 |
| पौंग डैम | 329.59 | 117.49 | 75.02 |
| चमेरा | 3.02 | 1.15 | 7.50 |
| रणजीत सागर | 35.47 | 5.22 | 2.30 |
| कोल डैम | 6.73 | 19.69 | 3.69 |
| कुल: | 566.03 | 186.49 | 149.34 |

Seed Stocking in Lakh



(2) कार्प बीज उत्पादन:-

राज्य में पहले ही छ: कार्प बीज फार्म, घाघस दयोली (जिला बिलासपुर), अल्लू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयोली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा जिला (कांगड़ा) तथा सुल्तानपुर (जिला चम्बा) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौटा साहिब) जिला सिरमौर में स्थापित किया गया है। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पन बिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किरच की मछली के बीज की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर-बदल किया जाना चाहित था।

राज्य में एक मात्र महाशीर प्रजनन केन्द्र, मछल्याल, जिला मण्डी में स्थापित किया गया है। ‘महाशीर’ मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मछल्याल (जिला मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है, जिससे मत्स्य आखेट को लाभ हो सके। इस वर्ष 1.046 लाख महाशीर मछलियों के अण्डों का उत्पादन किया गया। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को लचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय झोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है।

महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित

महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्प फार्मों में उत्पादित कार्प बीज भी संग्रहित किया जाता है।

इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2024 तक 746.492 लाख तथा निजी फार्मों से 47.00 लाख (कुल 793.492 लाख) कार्प मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। जिसको राज्य के मत्स्य किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

| योजना का नाम | वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान | वर्ष 2023-24 में व्यय |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| कार्प बीज उत्पादन | 140.55 लाख | 137.29 लाख |

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राउट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राउट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो



Trout Farm Patlikuhal, Kullu

गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राउट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राउट फार्मों पतलीकूहल, हामनी, बरोट, सांगला, धमवाड़ी, थल्ला व भान्दल, में



Trout Farm Hamni, Kullu

नवीनतम तकनीक से ट्राउट मत्स्य पालन किया जा रहा है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राउट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस

वर्ष निर्धारित लक्ष्य 20.80 लाख कि तुलना में 3.821 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के ट्राऊट फार्म से हुआ।


| योजना का नाम | वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान | वर्ष 2023-24में व्यय |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| ट्राऊट बीज उत्पादन | 71.83 लाख | 31.68 लाख |

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादन:


राज्य के ऊपरी ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, ऐनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए ऐनबो ट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है। वर्ष 2023-24 में निजी ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्म से कुल 1388.50 मीट्रिक टन ट्राऊट का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य 7636.75 लाख रुपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2022-23 से 218.00 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्म से भी 88.239 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।



Table Size Production (MT)



| | ट्राऊट फार्म का नाम | मत्स्य उत्पादन (टनों में) | राजस्व प्राप्ति (लाखों में) |
|----|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | पतलीकूहल (कुल्लू) | 8.050 | 51.84 |
| 2. | हामनी (कुल्लू) | 1.030 | 8.67 |
| 3. | बरोट (मण्डी) | 1.111 | 7.063 |
| 4. | सांगला (किन्नौर) | 0.343 | 5.02 |
| 5. | धमवाड़ी (शिमला) | 1.210 | 12.39 |
| 6. | थल्ला (चम्बा) | 0.406 | 2.35 |
| 7. | भान्दल (चम्बा) | 0.157 | .90 |
| 8. | होली (चम्बा) | 0 | .006 |
| | कुल:- | 12.307 | 88.239 |



(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव:

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्रियकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्णस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गतएक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है, जिसमें इस वर्ष 1.046 लाख बीज का उत्पादन किया गया।

| योजना का नाम | वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान (लाखों में) | वर्ष 2023-24 में व्यय (लाखों में) |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| कार्प बीज फार्मों का विस्तार | 26.29 | 25.04 |

(इ) अनुसूचित जाति उप योजना:

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर ऊँचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए वार्षिक योजना 2023-24में 452.16 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

| Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-32 (SCSP) during financial year 2023-24 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Sr. No. | Detail of Scheme /SOEs | Original/ Sanctioned Budget | Additional Budget | Revised Budget | Physical Targets (No./Ha.) | Components of expenditure | GoI/Go HP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date | Amount of Sanction | GoI Installation/Budget Allotted | Expenditure as on dated: | Balance Budget |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2405-00-789-02(SOON) Plan, Management and Development Carp Fish Farms. | | | | | | | | | | |
| i) | 09-Adv. & publicity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Exhibition Stalls | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| ii) | 20-Other Charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Trainings | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| iii) | 36-Minor Works | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Repair Work of CP | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| iv) | 63-Subsidy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gillnets | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| (A) | Total:- | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2405-00-789-03-Plan; RKVY (Scheme has not been operated due to some administrative reasons as the Nodal Department i.e. Agriculture Deptt. not sanctioned targets for CFY) | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy(C90N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ii) | 63-Subsidy(S10N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (B) | Total:- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2405-00-789-08-(S50N) insurance of fishermen under PMJJBY | | | | | | | | | | |
| i) | 63-sub subsidy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | The scheme has been discontinued by GOI | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ii) | (S50N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *C | Total:- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2405-00-789-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy (S65N) | 2.00 | | 0.12 | | Trout live stock insuran | | 0.12 | 0 | 0.12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | 0 | Beneficiary contribution | | | ce premium | | | | | |
| (D) | Total:- | 2.00 | 2.00 | 0.12 | | | | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 |
| 5 | 2405-00-789-10-(C90N & S10N) Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS) | | | | | | | | | | |
| i) | 20-Addition al charge (COON) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) | 63-Subsidy(C90N) | 234.00 | 172.57 | 406.57 | 3988 | | | 406.57 | 0.00 | 406.57 | 0.00 |
| iii) | 63-Subsidy(S10N) | 24.00 | 21.47 | 45.47 | | | | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 0.00 |
| iv) | 63-Subsidy(C53N) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 1488 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| v) | 63-Subsidy(S13N) | 11.00 | 0.00 | 11.00 | | | | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| vi) | 63-Subsidy(S20N)-PMBSY | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| (E) | Total:- | 326.00 | 194.04 | 512.04 | 5476 | | | 452.04 | 0 | 452.04 | 60.00 |
| 7 | 4405-00-789-02-Buildings Fisheries, (SOON)-Plan ; | | | | | | | | | | |
| i) | 37-Major work | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (F) | Total:- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Total:- | | 342.00 | 196.04 | 512.16 | 5476.00 | | | 452.16 | 0.00 | 452.16 | 60.00 |

(च) जनजातीय क्षेत्र उप योजना:

हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्थिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातीय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई पर स्थित झीलों जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट का संग्रहण करके ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्थिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत

है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (थल्ला) में एक मत्स्य अधिकारी नियुक्त है। जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से बांधित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है। इस वर्ष के दौरान ट्राउट बीज फार्मों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि छोटी-बड़ी सभी नदियों में ट्राउट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र के जलों में ट्राउट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली तथा थल्ला नामक स्थान पर एक-एक ट्राउट फार्म बना दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केवल सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जनजातीयों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए विभाग द्वारा मांग संख्या-31 के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

| Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-31(TASP) during financial year 2023-24 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Sr. No. | Detail of Scheme/ SOEs | Original/ Sanctioned Budget | Add./Sur. Budget Rs. | Revised Budget Rs. | Physical Targets (No./Ha.) | Components of expenditure | Gol/GoHP Sanction/ Directorate Endst. letter no /Date | Amount of Sanction | Gol. Installation | Expenditure as on 31st March | Balance Budget Rs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | 2405-00-796-03-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA in Chamba & Bhatiyat pockets | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Budget has been surrendered | | | | | |
| (A) | Total:- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2) | 2405-00-796-04(AOOS)-Plan ;Expenditure on fisheries under SCA (c/o Trout Raceways including input cost) | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c/o Trout Raceways including input cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (B) | Total:- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3) | 2405-00-796-05-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA for disperse tribes (OTA) | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Budget has been surrendered | | | | | |
| (C) | Total:- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4) | 2405-00-796-06-Plan; RKVY | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy(C90N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Budget not allotted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ii) | 63-Subsidy(S10N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (D) | Total:- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|--------------|--|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------|--|
| 5) | 2405-00-796-08-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY | | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy(S50N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Budget not allotted | | | | | | |
| (E) | Total:- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 6) | 2405-00-796-09-(S65N)-Plan, Insurance of Trout Live Stock | | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy(S65N) | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 2 | Trout live stock insurance | | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| (E) | Total:- | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 2 | | | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 7) | 2405-00-796-10-Plan, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (CSS) | | | | | | | | | | | |
| i) | 63-Subsidy(C90N) | 100.00 | 0.00 | 227.493 5 | 374 | | | 227.4 935 | 0.00 | 227.49 35 | 0.00 | |
| ii) | 63-Subsidy(S10N) | 10.00 | 0.00 | 25.31 | | 0.2635 | | 25.31 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | |
| iii) | 63-Subsidy(C53N) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 127 | Close season assistance to ST beneficiaries | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| iv) | 63-Subsidy(S13N) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 0.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| v) | 63-Subsidy(S20N) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Budget not allotted | | | | | | |
| vi) | 20-other charges (COON) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | Budget has been surrendered | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| F) | Total:- | 120.00 | 0 | 262.80 | 501 | | | 252.8 035 | 0 | 252.80 35 | 0.00 | |
| 8) | 2415-01-796-06(SOON) PLAN | | | | | | | | | | | |
| i) | 42-GIA(non-salary) | 500000 | 0.00 | 500000 | Department has allotted Rs. 5.00 Lac to HPKVV for performing research work on fisheries. | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | |
| G) | Total:- | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | |
| 4405-796-01-Building Programme:37-Major Work | | | | | | | | | | | | |
| 9) | 37-Major work | 72.00 | 0.00 | 60.00 | Building Programme:37-Major work | | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | | |
| H) | Total:- | 72.00 | 0.00 | 60.00 | | | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | | |
| Total:(A+B+C+D+E+F+G+H) | | 201.00 | 0.00 | 328.05 | | | 318.0 5350 | 0 | 318.05 350 | 0.00 | | |

(छ) मत्स्य अनुसंधान हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय:

मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 5.00 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2024 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

9

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना:

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर कमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील कांन्ति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 5,00,000/- रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 2,50,000/-रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 25,000/- रुपये भी प्रदान किये जाते हैं।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजना:


मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किसितियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए “मछुआरा जोखिम निधि” की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से

क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतु इन संयत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है।



(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजना:

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबन्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक अंशदायी आर्थिक सहायता स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 150/- रुपये प्रतिमाह अपना अंशदान कोष में जमा करवाता है।



इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 2400/- रुपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 600/- रुपये / माहीगीर अपना अंशदान जमा करते

हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अंशदान 4500/- रुपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में कमशः 2250-2250/- रुपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2023-24 में 2675 मछुआरों को इस योजना के तहत 120.38 लाख रुपये (16.05लाख रुपये राज्य बजट और 64.20 लाख रुपये केन्द्रीय शेयर) वितरित किया गया है।

प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई स्कीम प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना(PMMSY) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए भेजे गए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों में से भारत सरकार द्वारा मु0 2992.18 लाख रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। जिस में से मु0 1473.38 लाख रुपये केन्द्र भाग, मु0 172.63 लाख रुपये राज्य भाग तथा मु0 1346.17 लाख रुपये लाभार्थी भाग है। जिसमें भारत सरकार ने बन्द सीजन “मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता” हेतु स्वीकृत कुल मु0 64.20 लाख रुपये की राशि भी जारी की है। प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 की भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक घटक बार स्वीकृति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-



| Sr. No. | Name of the Projects | Unit cost | Units | Category | Units Recommended (No./ Ha.) | Total project Cost | Eligible Govt. Subsidy | | Beneficiary Share |
|---------|----------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| | | | (No./Ha) | | | | Central Share | State Share | |
| PMMSY | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Construction of New Ponds | 8.4 | Ha | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 9.7500 | 81.9000 | 29.4840 | 3.2760 | 49.1400 |
| | | | | SC | 3.7000 | 31.0800 | 16.7832 | 1.8648 | 12.4320 |
| | | | | ST | 0.5000 | 4.2000 | 2.2680 | 0.2520 | 1.6800 |
| | | | | Women | 8.0500 | 67.6200 | 36.5148 | 4.0572 | 27.0480 |
| | | 8.4 | Ha | Total | 22.0000 | 184.800 0 | 85.0500 | 9.4500 | 90.3000 |
| 2 | Input Cost for New Grow-out Ponds | 4 | Ha | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 9.7500 | 39.0000 | 14.0400 | 1.5600 | 23.4000 |
| | | | | SC | 3.7000 | 14.8000 | 7.9920 | 0.8880 | 5.9200 |
| | | | | ST | 0.5000 | 2.0000 | 1.0800 | 0.1200 | 0.8000 |
| | | | | Women | 8.0500 | 32.2000 | 17.3880 | 1.9320 | 12.8800 |
| | | 4 | Ha | Total | 22.0000 | 88.0000 | 40.5000 | 4.5000 | 43.0000 |
| 3 | Construction of Trout raceways in Private Sector | 3 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 50.0000 | 150.000 0 | 54.0000 | 6.0000 | 90.0000 |
| | | | | SC | 45.0000 | 135.000 0 | 72.9000 | 8.1000 | 54.0000 |
| | | | | ST | 25.0000 | 75.0000 | 40.5000 | 4.5000 | 30.0000 |
| | | | | Women | 50.0000 | 150.000 0 | 81.0000 | 9.0000 | 60.0000 |
| | | 3 | No. | Total | 170.0000 | 510.000 0 | 248.400 0 | 27.600 0 | 234.0000 |
| 4 | Input Cost for Trout Raceways | 2.5 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 50.0000 | 125.000 0 | 45.0000 | 5.0000 | 75.0000 |
| | | | | SC | 45.0000 | 112.500 0 | 60.7500 | 6.7500 | 45.0000 |
| | | | | ST | 25.0000 | 62.5000 | 33.7500 | 3.7500 | 25.0000 |
| | | | | Women | 50.0000 | 125.000 0 | 67.5000 | 7.5000 | 50.0000 |
| | | 2.5 | No. | Total | 170.0000 | 425.000 0 | 207.000 0 | 23.000 0 | 195.0000 |
| 5 | Construction of Fish Kiosks | 10 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 4.0000 | 40.0000 | 14.4000 | 1.6000 | 24.0000 |
| | | | | SC | 2.0000 | 20.0000 | 10.8000 | 1.2000 | 8.0000 |
| | | | | ST | 1.0000 | 10.0000 | 5.4000 | 0.6000 | 4.0000 |
| | | | | Women | 13.0000 | 130.000 0 | 70.2000 | 7.8000 | 52.0000 |
| | | 10 | No. | Total | 20.0000 | 200.000 0 | 100.800 0 | 11.200 0 | 88.0000 |
| 6 | Motor cycle with ice box | 0.75 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 36.0000 | 27.0000 | 9.7200 | 1.0800 | 16.2000 |
| | | | | SC | 21.0000 | 15.7500 | 8.5050 | 0.9450 | 6.3000 |
| | | | | ST | 10.0000 | 7.5000 | 4.0500 | 0.4500 | 3.0000 |
| | | | | Women | 18.0000 | 13.5000 | 7.2900 | 0.8100 | 5.4000 |
| | | 0.75 | No. | Total | 85.0000 | 63.7500 | 29.5650 | 3.2850 | 30.9000 |
| 7 | Three Wheeler with ice box | 3 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 2.0000 | 6.0000 | 2.1600 | 0.2400 | 3.6000 |
| | | | | SC | 4.0000 | 12.0000 | 6.4800 | 0.7200 | 4.8000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | ST | 1.0000 | 3.0000 | 1.6200 | 0.1800 | 1.2000 |
| | | | | Women | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | 3 | No. | Total | 7.0000 | 21.0000 | 10.2600 | 1.1400 | 9.6000 |
| 8 | Providing Boats and nets for traditional Reservoir Fishermen | 2 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 130.0000 | 260.0000 | 93.6000 | 10.4000 | 156.0000 |
| | | | | SC | 190.0000 | 380.0000 | 205.2000 | 22.8000 | 152.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 30.0000 | 60.0000 | 32.4000 | 3.6000 | 24.0000 |
| | | 2 | No. | Total | 350.0000 | 700.0000 | 331.2000 | 36.8000 | 332.0000 |
| 9 | Mini Fish Feed Mills of Production Capacity of 2 ton/day | 30 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 1.0000 | 30.0000 | 10.8000 | 1.2000 | 18.0000 |
| | | | | SC | 1.0000 | 30.0000 | 16.2000 | 1.8000 | 12.0000 |
| | | | | ST | 2.0000 | 60.0000 | 32.4000 | 3.6000 | 24.0000 |
| | | | | Women | 2.0000 | 60.0000 | 32.4000 | 3.6000 | 24.0000 |
| | | 30 | No. | Total | 6.0000 | 180.0000 | 91.8000 | 10.2000 | 78.0000 |
| 10 | Ice plant of 10 ton Capacity | 40 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 2.0000 | 80.0000 | 43.2000 | 4.8000 | 32.0000 |
| | | 40 | No. | Total | 2.0000 | 80.0000 | 43.2000 | 4.8000 | 32.0000 |
| 11 | Establishmen t of Medium Biofloc culture system (25 tanks of 4m dia and 1.5m high) | 25 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 3.0000 | 75.0000 | 40.5000 | 4.5000 | 30.0000 |
| | | 20 | No. | Total | 3.0000 | 75.0000 | 40.5000 | 4.5000 | 30.0000 |
| 12 | Establishmen t of New Freshwater Finfish Hatcheries | 25 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 1.0000 | 25.0000 | 13.5000 | 1.5000 | 10.0000 |
| | | 25 | No. | Total | 1.0000 | 25.0000 | 13.5000 | 1.5000 | 10.0000 |
| 13 | Establishmen t of Trout Fish Hatcheries | 50 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 1.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Women | 1.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |
| | | 50 | No. | Total | 2.0000 | 100.0000 | 54.0000 | 6.0000 | 40.0000 |
| 14 | Fish Data collection fishers survey and strengthening of fisheries database | Need based | - | State | 1.0000 | 19.2000 | 19.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Total | 1.0000 | 19.2000 | 19.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | Construction of Biofloc ponds for freshwater areas including inputs for Rs. 4 lakhs/Ha | 14 | No. | State | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 3.0000 | 42.0000 | 15.1200 | 1.6800 | 25.2000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 6.0000 | 84.0000 | 45.3600 | 5.0400 | 33.6000 |
| | | 14 | No. | Total | 9.0000 | 126.0000 | 60.4800 | 6.7200 | 58.8000 |
| 16 | Establishment of small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5m high) culture system | 7.5 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 7.0000 | 52.5000 | 18.9000 | 2.1000 | 31.5000 |
| | | | | SC | 6.0000 | 45.0000 | 24.3000 | 2.7000 | 18.0000 |
| | | | | ST | 1.0000 | 7.5000 | 4.0500 | 0.4500 | 3.0000 |
| | | | | Women | 6.0000 | 45.0000 | 24.3000 | 2.7000 | 18.0000 |
| | | 7.5 | No. | Total | 20.0000 | 150.0000 | 71.5500 | 7.9500 | 70.5000 |
| 17 | Establishment of Medium RAS for (with 6 tanks of minimum 30 m³/tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop) | 25 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | General | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 2.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |
| | | 50 | No. | Total | 2.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |
| 18 | Establishment of large RAS for cold water fisheries (with 10 tanks of minimum 50 m³/tank capacity and fish production capacity of | 50 | No. | State Govt. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 10 ton/crop) | | | | | | | | |
| | | | | General | 1.0000 | 50.0000 | 18.0000 | 2.0000 | 30.0000 |
| | | | | SC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | ST | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | | Women | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | Total | 50 | No. | Total | 1.0000 | 50.0000 | 18.0000 | 2.0000 | 30.0000 |
| 19 | Livelihood and nutritional support for socio economically backward, active traditional fishers“ families for conservation of fisheries resources during fish ban/lean period | 0.045 | No. | General | 2033.0000 | 91.4850 | 48.7920 | 12.1980 | 30.4950 |
| | | | | SC | 1032.0000 | 46.4400 | 24.7680 | 6.1920 | 15.4800 |
| | | | | ST | 85.0000 | 3.8250 | 2.0400 | 0.5100 | 1.2750 |
| | | | | Women (Gen/SC/ ST) | 882.0000 | 39.6900 | 21.1680 | 5.2920 | 13.2300 |
| | | | | Total | 4032.0000 | 181.4400 | 96.7680 | 24.1920 | 60.4800 |
| 20 | Establishment of medium scale ornamental fish rearing unit | 8 | No. | Women | 1.0000 | 8.0000 | 4.3200 | 0.4800 | 3.2000 |
| | | | | Total | 1.0000 | 8.0000 | 4.3200 | 0.4800 | 3.2000 |
| 21 | Establishment of large RAS (with 10 tanks of minimum 30 m3/tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop) | 50 | No. | Women | 3.0000 | 150.0000 | 81.0000 | 9.0000 | 60.0000 |
| | | | | Total | 3.0000 | 150.0000 | 81.0000 | 9.0000 | 60.0000 |
| 22 | Fish Value Addition Enterprises Units | 50 | No. | Women | 1.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |
| | | | | Total | 1.0000 | 50.0000 | 27.0000 | 3.0000 | 20.0000 |
| 23 | Cold Store of 20 ton Capacity | 80 | No. | Women | 1.0000 | 80.0000 | 43.2000 | 4.8000 | 32.0000 |
| | | | | Total: | 1.0000 | 80.0000 | 43.2000 | 4.8000 | 32.0000 |
| 24 | Backyard ornamental Rearing unit | 3 | No. | Women | 1.0000 | 3.0000 | 1.6200 | 0.1800 | 1.2000 |
| | | | | Total: | 1.0000 | 3.0000 | 1.6200 | 0.1800 | 1.2000 |
| | Grand Total | | | G. Total: | | 3520.1900 | 1745.9130 | 205.2970 | 1568.9800 |

10

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई-समाधान:** मत्त्य विभाग में ई-समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई-समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।
- **ई-सर्विस:** कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई-सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत्-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
- **ई-लाईसेंस:** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसेंस उपलब्ध करवाने कि सेवा शुरू करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं।
- **ई-कार्यालय:** विभाग में निदेशाल्य स्तर पर होने वाले कार्यों को सभी शाखाओं में पेपर लेस कर ई-कार्यालय की सेवा को लागू कर दिया है।

11

Annual Plan 2023-24 Performance in implementation of State Plan Financial (Rs. In lakhs) Monthly Progress Report for the month of March, 2024

| Sl.No. | Major/ Minor Head of Dev. 2405, 4405- Fisheries | Annual Plan- 2023-24 |
|--|--|----------------------|
| | Demand No.-14 (GDP) | Expenditure |
| STATE SECTOR (OTHER THAN SCHEDULED CASTE/ TRIBAL AREA PLAN) | | |
| 1 | 2405-00-101-02-(SOON)- M. & Dev. of Reservoir Fisheries | 137.29 |
| 2 | 2405-00-101-03-(SOON)-Dev. and Maintenance of Sports Fisheries | 31.68 |
| 3 | 2405-00-101-04-(SOON)-Dev.& Maintenance of Carp Farms | 25.04 |
| 4 | 2405-00-101-08- Investment Subsidy on Fish Feed Mills-SOON | 0.00 |
| 5 | 2405-00-101-09-(S65N) Plan- Insurance Facility | 0.00 |
| 6 | 2405-00-101-10-Plan (S10N) PMMSY | 29.11 |
| 7 | 2405-00-101-10 (SOON)-Plan (GAIS) | 0.56 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 8 | 2405-00-101-10-Plan (S13N) PMMSY | 13.97 |
| 9 | 2405-00-109-02-(SOON) Plan Extension & Training | 2.00 |
| 10 | 2405-00-121-01-Risk Fund for Fishermen (SOON) | 2.47 |
| Total:- | | 242.12 |
| Demand No. 14 (Capital) | | |
| 1 | 4405-00-101-02-(SOON)- M. & Dev. of Reservoir Fisheries | 98.66 |
| 2 | 4405-00-101-03-(SOON)-Dev. and Maintenance of Sports Fisheries | 131.24 |
| 3 | 4405-00-101-04-(SOON)-Dev.& Maintenance of Carp Farms | 92.53 |
| 4 | 4405-00-101-07-Plan (S10N) PMMSY | 0.00 |
| 5 | 4405-00-101-08-SOON (FIDF) | 54.23 |
| Total: | | 376.66 |
| G. Total:- State Plan (2405 & 4405) | | 618.78 |
| Central Sponsored Scheme (14) | | |
| 1 | 2405-00-101-10-Plan (COON) PMMSY | 0.00 |
| 2 | 2405-00-101-10-Plan (C90N) PMMSY | 261.98 |
| 3 | 2405-00-101-10-Plan (C53N) PMMSY | 55.88 |
| | 4405-00-101-07-Plan (C90N) PMMSY | 0.00 |
| Total GDP (CSS) | | 317.86 |
| G. Total : Demand (14) (2405, 4405 & CSS) | | 936.64 |
| Demand No.-31 (TADP) | | |
| 1 | 2405-00-796-09-(S65N)- Trout Live Stock Insurance | 0.00 |
| 2 | 2405-00-796-10-(S10N)-PMMSY | 5.02 |
| 3 | 2405-00-796-10-(S13N)-PMMSY | 0.42 |
| Total:- | | 5.44 |
| Demand No. 31 (Capital) | | |
| 1 | 4405-00-796-01 (SOON) Plan; Fisheries Buildings | 0.00 |
| Total :- | | 0.00 |
| Total (TADP) 2405 & 4405):- | | 5.44 |
| Central Sponsored Scheme (TSP) | | |
| 1 | 2405-00-796-03- (AOOS-Plan)- Expenditure on Fisheries under Special Central Assistance for the pockets of Chamba and Bhatiyat (MADA) | 0.00 |
| 2 | 2405-00-796-04- (AOOS-Plan)- Expenditure on Fisheries under Special Central Assistance | 0.00 |
| 3 | 2405-00-796-05- (AOOS-Plan)- Expenditure on Fisheries under Special Central Assistance for disperse tribe(OTA) | 0.00 |
| 4 | 2405-00-796-10-(COON)-PMMSY | 0.00 |
| 5 | 2405-00-796-10-(C53N)-PMMSY | 1.70 |
| 6 | 2405-00-796-10-(C90N)-PMMSY | 45.06 |
| Total:- | | 46.76 |
| G. Total (TADP) (31) 2405,4405 & CSS):- | | 52.20 |

| Demand No. 32 (SCDP) Revenue | | |
|--|--|----------------|
| 1 | 2405-00-789-09-(S65N)-Trout Live Stock Insurance | 0.00 |
| 2 | 2405-00-789-10-(S10N)-PMMSY | 6.48 |
| 3 | 2405-00-789-10-(S13N)-PMMSY | 10.93 |
| Total (SCDP) 2405:- | | 17.41 |
| Central Sponsored Scheme (SCSP) | | |
| 1 | 2405-00-789-10-(COON)-PMMSY | 0.00 |
| 2 | 2405-00-789-10-(C53N)-PMMSY | 22.63 |
| 3 | 2405-00-789-10-(C90N)-PMMSY | 102.70 |
| Total:- | | 125.33 |
| G. Total (TADP) (32) 2405 & CSS):- | | 142.74 |
| Grand Total (State & Centre Plan) | | 1131.58 |

12

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1)(बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ातरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;

- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य :-

- ऊपर कहे गये विभाग के सभी कायों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:

अधिकारियों की शक्तियां:-

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-I और खण्ड-II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय-समय पर संसोधन कर विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

| कं.सं. | अधिकारों के प्रकार | अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है। | अधिकार की सीमा |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| कार्यालय खर्च | | | |
| 1. | कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल | समस्त उप-निदेशक मत्स्यसमस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद | समस्त उप-निदेशक मत्स्यसमस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
| 3. | सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना | समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
| 4. | स्थानीय स्टेशनरी की छोटी-मोटी खरीद | समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |

1. मोटर वाहन

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | मुरम्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए | समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
| 2. | पी.ओ.एल. के लिए | समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |

2. सामग्री और आपूर्ति

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण | समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
|----|---|--|--|

3. रख-रखाव

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | इस मद में मुरम्मत व रख-रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है। | समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
| | | समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |

4. मशीनरी और उपकरण

| | | | |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1. | गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मो में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयत्र व उपकरण | समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी | पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति |
|----|--|--------------------------------|--|

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ विभाग का मुखिया ।
- ❖ राज्य में अन्तदेशीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी और शीत जल एक्चाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना ।
- ❖ मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना ।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना ।
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन ।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना ।
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी ।

अतिरिक्त निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ राज्य में अन्तदेशीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी और शीत जल एक्चाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ प्रशासनिक शाखा से संबंधित सभी कार्यों के प्रबंधन में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना और कार्यों को निपटाना ।
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करवाना ।
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखवाना ।

- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन करने में निदेशक एवं प्रारक्षी का सहयोग करना ।
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना ।

उप-निदेशक मत्स्यः

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिह्नित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं स्टॉक हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी ।
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण ।
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।
- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

अधीक्षक ग्रेड-1:

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण ।
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि सभी डीलिंग हैंड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्टरों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें ।
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना ।
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना ।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए ।

सहायक निदेशक मत्स्यः

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण ।
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिह्नित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना ।
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण ।
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन ।
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना ।
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना ।
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनीकी सहायता देना ।
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसेंस जारी करना ।
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त ।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारीः

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रूड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना ।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना ।
- ❖ कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को कियान्वित करना ।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को कियान्वित करना ।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना ।
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना ।
- ❖ अवैध मत्स्य आख्रेट पर जुर्माना लगाना ।
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना ।

- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रूड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना।
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना।
- ❖ अन्तःस्थलीय मात्रियकी, जलाशय मात्रियकी तथा शीत जल एक्चाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास।
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न उपदान मसलों को क्रियान्वित करना।
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना।
- ❖ इनके व्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना।
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना।
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप-निरीक्षक मत्स्य:

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना।
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना।
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

फार्म सहायक:

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख-रेख।
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता।
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैकिंग।

- ❖ फार्मों पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यों का निरीक्षण।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीवि:

- ❖ नदीय व माटियकी का संरक्षण।
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना।
- ❖ विभागीय एक्चाकल्यर योजनाओं का विस्तार कार्य करना।
- ❖ मत्स्य फार्मों का रख-रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैकों या ऐसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिक:

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राऊट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए।
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी-मोटी मुरम्मत।

पम्प ऑपरेटर/हैल्पर:

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारू रूप से चलाना।
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक ग्रेड-II:

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना।
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायक:

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना।
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना।
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन।

- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायक:

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफटिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना।
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख-रखाव, लीव अकाउन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले।
- ❖ तकनीकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित् करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

कनिष्ठ आभियन्ता (सिविल)

- ❖ विभागीय निर्माण कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना।
- ❖ वह 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य विभागीय अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का प्राक्कलन तैयार करना।
- ❖ सहायक अभियंता (सिविल) की देखरेख में कार्य करना।
- ❖ निदेशक (मत्स्य पालन) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

सांचिकी सहायक:

- ❖ सांचिकी शाखा से सम्बन्धित सभी कार्य
- ❖ मत्स्य से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों का युक्तिकरण
- ❖ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनतैयार करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुटंकक:

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य।
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई० टी०)/ लिपिकः

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी ठंकण कार्य ।
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्टरों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना ।
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य ।

चौकीदारः

- ❖ चौकीदार रात के समय कार्यालय परिसर/मछली फार्म की देख रेख करना ।
- ❖ रात के समय पानी की आपूर्ति आदि की देखभालकरना ।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य ।

कार्यवाहकः

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना ।
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना ।
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य ।

(i) निरीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा कियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। कियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं।

❖ एक्चाकल्वर योजना :-

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को कियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी /सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस

स्थान का नियोजन करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ-साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

❖ मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :-

सभा तथा क्षेत्र के लैण्डिंग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

❖ गिल नैट और कास्ट नैट इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामयी सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

❖ इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

❖ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियाव्ययन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(ii) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यों का निर्वाहन किया जाता है :-

- ❖ निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटि बजट करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- ❖ फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/विरिष्ट मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन ऐसे कार्य और साथ ही ड्राइट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- ❖ इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- ❖ मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमेन्ट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) कार्यों के निर्वाहन के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020
- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम

- ❖ एच.बी. एडवांस नियम
- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पैशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(iv) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :-

खाता :

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट
- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना :

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकर्षिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका

❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध :

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

(v) विभागीय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण:

विभाग की वैब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ “राज्य स्तर की योजना बैठक” प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यकर्मों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय

कार्यक्रम समिति और शिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती हैं।

(vi) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :-

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

शीर्ष समितियां :

- (a) जलाशय विकास समिति
- (b) जल-विद्युत परियोजना के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां :

- (a) सामग्री खरीद समिति
- (b) विभागीय पदोन्नति समिति
- (c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति :

- (a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ-साथ उनके प्रारूप विभागिय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(vii) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

| क्रं.सं. | पद का नाम/ श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | खाली पद |
|----------|---|------------|------------|---------|
| 1. | निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 2. | अतिरिक्त/सयुक्त निदेशक (हि०प्र०प्रशा० सेवा) मत्स्य निदेशालय (मु०) | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 3. | उप-निदेशक मत्स्य | 0 2 | 0 | 2 |
| 4. | अधीक्षक ग्रेड-1 | 0 1 | 0 1 | 0 |
| | जोड़ | 0 5 | 0 3 | 0 2 |
| 5. | सहायक निदेशक मत्स्य | 1 1 | 0 8 | 3 |
| 6. | अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस) | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 7. | अधीक्षक ग्रेड-II | 0 4 | 0 3 | 0 1 |
| 8. | निजी सहायक | 0 1 | 0 1 | 0 |
| | जोड़ | 1 7 | 1 3 | 0 4 |
| 9. | जूनियर अभियंता (सिविल) | 0 2 | 0 2 | 0 |
| 10. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी | 0 7 | 0 5 | 0 2 |
| 11. | मत्स्य अधिकारी | 3 3 | 1 8 | 1 5 |
| 12. | वरिष्ठ सहायक | 0 9 | 0 8 | 1 |
| 13. | सांचियकी सहायक | 0 2 | 0 1 | 0 1 |
| 14. | वरिष्ठ आशु लिपिक | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 15. | उप-निरीक्षक मत्स्य | 1 7 | 1 1 | 0 6 |
| 16. | आशु टंकक | 0 2 | 0 2 | 0 |
| 17. | जूनियर असिस्टेंट/लिपिक | 2 1 | 1 3 | 0 8 |
| 18. | कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई० टी०) | 1 8 | 0 3 | 1 5 |
| 19. | फार्म सहायक | 1 5 | 1 3 | 0 2 |
| 20. | चालक | 1 0 | 0 4 | 0 6 |
| 21. | मोटर बोट चालक | 0 4 | 0 2 | 0 2 |
| 22. | मकैनिक (ऑटो) | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 23. | सेल मैन/लिपिक | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 24. | फीड मील मकैनिक | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 25. | पम्प ऑपरेटर | 0 1 | 0 | 0 1 |

| | | | | |
|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | जोड़ | 1 4 5 | 8 4 | 6 1 |
| 2 6. | क्षेत्रीय सहायक | 1 4 0 | 8 3 | 5 7 |
| 2 7. | मत्स्यजीवी | 5 2 | 3 0 | 2 2 |
| 2 8. | फिल्डमैन (Fieldman) | 0 3 | 0 | 0 3 |
| 2 9. | कार्यवाहक | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 3 0. | चौकीदार | 2 3 | 2 0 | 0 3 |
| 3 1. | चौकीदार-एवं-सफाई कर्मचारी | 1 4 | 1 1 | 0 3 |
| 3 2. | क्लीनर | 0 1 | 0 1 | 0 |
| 3 3. | स्वीपर | 0 1 | 0 1 | 0 |
| | जोड़ | 2 3 5 | 1 4 6 | 8 9 |
| | अंतिम जोड़ | 4 0 2 | 2 4 5 | 1 5 6 |

(viii) मौजूदा नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :-

| क्र.सं. | पद का नाम/ श्रेणी | 01.01.2016 के अनुसार वेतनमान | लेवल |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------|
| श्रेणी-I | | | |
| 1. | निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य | 1 2 3 1 0 0-2 0 9 6 0 0 | 2 8 |
| 2. | अतिरिक्त/सयुक्त निदेशक | 6 7 4 0 0-2 0 1 2 0 0 | 2 1 |
| 3. | उप-निदेशक मत्स्य | 5 3 6 0 0-1 7 0 1 0 0 | 1 7 |
| 4. | अधीक्षक ग्रेड-1 | 4 8 7 0 0-1 5 4 3 0 0 | 1 6 |
| श्रेणी-II | | | |
| 5. | सहायक निदेशक मत्स्य | 4 6 0 0 0-1 4 6 5 0 0 | 1 3 |
| 6. | अनुभाग अधिकारी (एस.ए.एस) | 4 8 7 0 0-1 5 4 3 0 0 | 1 6 |
| 7. | अधीक्षक ग्रेड-II | 4 3 0 0 0-1 3 6 0 0 0 | 1 2 |
| 8. | निजी सहायक | 4 3 0 0 0-1 3 6 0 0 0 | 1 2 |
| श्रेणी-III | | | |
| 9. | जूनियर अभियंता (सिविल) | 3 8 5 0 0-1 2 2 7 0 0 | 1 1 |
| 10. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी | 3 8 5 0 0-1 2 2 7 0 0 | 1 1 |
| 11. | मत्स्य अधिकारी | 3 8 1 0 0-1 2 0 4 0 0 | 1 0 |
| 12. | वरिष्ठ सहायक | 3 8 5 0 0-1 2 2 7 0 0 | 1 1 |
| 13. | सार्विकी सहायक | 3 8 5 0 0-1 2 2 7 0 0 | 1 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----|
| 14. | वरिष्ठ आशु लिपिक | 38500-122700 | 11 |
| 15. | उप-निरीक्षक मत्स्य | 25600-81200 | 6 |
| 16. | आशु टंकक | 21300-67800 | 5 |
| 17. | जूनियर असिस्टेंट | 38100-120400 | 7 |
| 18. | लिपिक | 20200-64000 | 3 |
| 19. | जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई0टी0) | 20600-65500 | 4 |
| 20. | फार्म सहायक | 20200-64000 | 3 |
| 21. | चालक | 25600-81200 | 6 |
| 22. | मोटर बोट चालक | 20200-64000 | 3 |
| 23. | मकैनिक (ऑटो) | 20200-64000 | 3 |
| 24. | सैल्समैन-कम-लिपिक | 20200-64000 | 3 |
| 25. | फीड मील मकैनिक | 20200-64000 | 3 |
| 26. | पम्प ऑपरेटर | 20200-64000 | 3 |

श्रेणी-IV

| | | | |
|-----|------------------------|-------------|---|
| 27. | मत्स्य क्षेत्रीय सहायक | 18000-56900 | 1 |
| 28. | मत्स्यजीवी | 18000-56900 | 1 |
| 29. | फिल्डमैन | 18000-56900 | 1 |
| 30. | क्लीनर | 18000-56900 | 1 |
| 31. | कार्यवाहक | 18000-56900 | 1 |
| 32. | चौकीदार | 18000-56900 | 1 |
| 33. | चौकीदार-कम-स्वीपर | 18000-56900 | 1 |
| 34. | स्वीपर | 18000-56900 | 1 |

(ix) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजना:

वर्ष 2023-24 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष वार विवरण :

उप-निदेशक मत्स्य(मु0), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

| कं.स. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹0 में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-001-01(SOON) | 2,35,77,183 | 2,35,76,904 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| | गैर-विकासात्मक | | |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 33,01,612 | 33,00,392 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 5,37,020 | 5,36,969 |
| 4 | 2405-00-101-03(SOON) विकासात्मक | 84,960 | 84,876 |
| 5 | 2405-00-101-04(SOON) विकासात्मक | 7,027 | 7,000 |
| 6 | 2405-00-101-10(SOON) विकासात्मक | 29,49,000 | 29,10,889 |
| 7 | 2405-00-101-10(C53N) विकासात्मक | 58,00,000 | 55,87,950 |
| 8 | 2405-00-101-10(C13N) गैर-विकासात्मक | 14,50,000 | 13,96,988 |
| 9 | 2405-00-796-01(SOON) गैर-विकासात्मक | 8,26,549 | 8,26,549 |
| 10 | 2405-00-796-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 34,336 | 34,234 |
| 11 | 2405-00-796-10(S10N) विकासात्मक | 2,635 | 2,635 |
| 12 | 2405-00-796-10(S13N) विकासात्मक | 84,600 | 84,600 |
| 13 | 2405-00-796-10(C53N) गैर-विकासात्मक | 4,00,000 | 1,69,900 |
| 14 | 2405-00-796-10(C90N) विकासात्मक | 90,00,000 | 45,06,155 |
| 15 | 2405-00-796-10(S10N) | 10,00,000 | 5,01,891 |

| | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| | गैर-विकासात्मक | | |
| 16 | 2405-00-796-10(S13N) गैर-विकासात्मक | 1,00,000 | 42,475 |
| 17 | 2405-00-789-10(C53N) गैर-विकासात्मक | 41,00,000 | 22,62,850 |
| 18 | 2405-00-789-10(C90N) विकासात्मक | 2,34,00,000 | 1,02,69,710 |
| 19 | 2405-00-789-10(S10N) गैर-विकासात्मक | 24,00,000 | 6,47,880 |
| कुल जोड़: | | 7,90,54,915 | 5,67,50,847 |

उप-निदेशकमत्स्य, पतलीकुहल(कुल्ल)

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट(रु० में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-001-02(SOON) Non-Developmental | 1,40,55,611 | 1,40,53,918 |
| 2 | 2405-00-101-02(SOON) Developmental | 1,62,500 | 1,61,853 |
| 3 | 2405-00-101-03(SOON) Developmental | 52,18,870 | 52,18,868 |
| 4 | 4405-00-101-03(SOON) Developmental | 2,55,73,981 | 2,55,71,639 |
| 5 | 2235-00-800-07(SOON) Developmental | 64,000 | 62,264 |
| 6 | 13 Material and Supply (Stationery articles) | 5,000 | 5,000 |
| कुल जोड़: | | 4,50,79,962 | 4,50,73,542 |

सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|--------|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-001-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 1,27,10,322 | 1,27,08,221 |
| 2 | 2405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 3,61,790 | 3,61,740 |
| 3 | 2405-00-101-03(SOON) विकासात्मक | 1,18,255 | 1,18,250 |
| 4 | 2405-00-101-04(SOON) विकासात्मक | 1,18,798 | 1,18,788 |
| 5 | 4405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 37,55,910 | 30,66,000 |
| 6 | 4405-00-101-03(SOON) विकासात्मक | 4,75,000 | 4,75,000 |
| 7 | 2235-60-800-07(SOON) | 11,300 | 10,735 |
| 8 | 2058-00-101-07(SOON) | 3,500 | 3,500 |
| 9 | 4405-00-796-01(SOON) विकासात्मक | 39,85,400 | 0 |
| 10 | 2405-00-796-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 45,52,537 | 45,51,554 |
| 11 | 2405-00-789-03 | 0 | 0 |
| 12 | 2405-00-796-04 | 0 | 0 |
| 13 | 2405-00-796-05 | 0 | 0 |
| 14 | 2405-00-789-02(SOON) | 0 | 0 |
| | कुल जोड़: | 2,14,13,788 | 2,60,92,812 |

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|--------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-001-02(SOON) | 2,53,72,353 | 2, 53,72,012 |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON) | 97,37,736 | 96,59,502 |

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 2405-00-101-03(SOON) | 99,900 | 99,900 |
| 4 | 2405-00-101-04(SOON) | 4,59,985 | 4,59,985 |
| 5 | 4405-00-101-02(SOON) | 64,50,000 | 64,50,000 |
| 6 | 2235-60-800-07(SOON) | 3,76,200 | 3,76,060 |
| 7 | 2258 | 9,000 | 9,000 |
| | कुल जोड़: | 4,25,05,174 | 4,24,26,459 |

सहायक निदेशक मत्स्य, पौगड़ैम जिला कांगड़ा

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|----------|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 15,09,601 | 14,82,356 |
| 2 | 2405-00-789-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 0 | 0 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) – 6 3 –उपदान | 0 | 0 |
| 4 | 2405-00-789-02(SOON)– 6 3 –उपदान | 0 | 0 |
| 5 | 2235-60-800-07(SOON)– 0 6 –उपदान | 97,000 | 96,214 |
| 6 | 4405-00-101-02-(SOON)-3 7 | 5,50,000 | 5,50,000 |
| 7 | 2216 | 2,76,000 | 2,76,000 |
| | कुल जोड़: | 24,32,601 | 24,04,570 |

सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03.2024 तक |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2405-00-001-01-निदेशालय स्तर(SOON) | 29,000 | 27,675 |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON)जिला स्तर | 13,34,38,130 | 1,34,37,064 |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|--------------------|
| 3 | 2405-00-101-02 जलाशय मत्स्य पालन विकास | 6,17,894 | 6,17,401 |
| 4 | 2405-00-101-03-Development and maintainance of sopor Fisheries(SOON) | 1,10,000 | 1,09,990 |
| 5 | 2405-00-101-04-कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव(SOON) | 2,44,628 | 2,44,628 |
| 6 | 2058-लेखन सामग्री हेतू बजट | 3,500 | 3,500 |
| 7 | 4405-मत्स्य पूँजीगत परिव्यय, 00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन 02-कीड़ा मत्स्य का विकास एवं रख-रखाव(SOON) | 16,00,000 | 16,00,000 |
| 8 | 4405-मत्स्य पूँजीगत परिव्यय, 00-101-अन्तर्देशीय मत्स्य पालन 02-कीड़ा मत्स्य का विकास एवं रख-रखाव(SOON) | 17,00,000 | 16,96,313 |
| 9 | 2235-60-800-07-मत्स्य पालन विभाग के पैदानरों के लिये चिकित्सा प्रतिपूति सूविधा(SOON) | 4,96,900 | 4,96,834 |
| कुल जोड़: | | 13,82,40,052 | 1,82,33,405 |

सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

| क्र.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03.2024 तक |
|----------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2405-00-001-01(SOON) गैर-विकासात्मक | 30,000 | 29,983 |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 37,16,689 | 36,97,488 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 2,07,250 | 10,599+(1,01,250, Forwarded passing) |

| | | | |
|---|--|------------------|---------------------------|
| 4 | 2405-00-101-04(SOON) विकासात्मक | 2,55,000 | 2,54,983 |
| 5 | 4405-00-101-04(SOON) विकासात्मक | 54,000 | 54,000 |
| 6 | 2235-60-800-07(SOON) गैर-विकासात्मक | 14,163 | 8,872 |
| 7 | 2058-मुद्रण लेखन सामग्री | 3,000 | 3,000 |
| 8 | 2405-00-796-05(SOON) विकासात्मक | 0 | 0 |
| 9 | 2405-00-789-02(SOON) विकासात्मक | 0 | 0 |
| | कुल जोड़: | 42,80,102 | 40,58,925+1,01,250 |

सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03. 2024 तक |
|--------|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2405-00-001-01(SOON) गैर-विकासात्मक भाग 1 व 2 | 67,083 | 67,083 |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 53,65,036 | 53,64,986 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) विकासात्मक | 94,943 | 94,943 |
| 4 | 2405-00-101-03(SOON) विकासात्मक | 66,608 | 66,608 |
| 5 | 4405-00-101-03(SOON) विकासात्मक | 5,04,500 | 5,04,500 |
| 6 | 2235-60-800-07(SOON) गैर-विकासात्मक | 1,49,500 | 1,49,479 |

| | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 7 | 2405-00-796-01(SOON) गैर-विकासात्मक | 8,43,018 | 8,43,018 |
| 8 | 2405-00-796-02(SOON) गैर-विकासात्मक | 24,56,747 | 24,56,718 |
| 9 | 3. 4405-00-796-01(SOON) विकासात्मक | 0 | 0 |
| 10 | 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 3,500 | 3,500 |
| कुल जोड़: | | 95,50,935 | 95,50,835 |

सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

| क्र.सं | मुख्य शीष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03.2024 तक |
|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2405-00-001-02(SOON) | 1,24,66,693 | 1,24,10,410 |
| 2 | 2405-00-001-01(SOON) | 3,05,829 | 3,05,829 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) | 2,80,517 | 1,70,247 |
| 4 | 2405-00-101-03(SOON) | 2,22,064 | 2,22,064 |
| 5 | 2405-00-101-04(SOON) | 5,21,844 | 5,21,844 |
| 6 | 2216-05-053-03(SOON) | 2,05,500 | 2,05,500 |
| 7 | 2235-60-800-07(SOON) | 2,33,000 | 2,26,556 |
| 8 | 4405-00-101-03(SOON) | 60,07,000 | 60,07,000 |
| 9 | 4405-00-101-04(SOON) | 28,50,000 | 28,50,000 |
| कुल जोड़: | | 2,30,92,447 | 2,29,19,450 |

सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03.2024 तक |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2405-00-001-01(SOON) | 45000 | 45,000 |
| 2 | 2405-00-001-02(SOON) | 69,48,152 | 69,46,755 |
| 3 | 2405-00-101-02(SOON) | 2,61,807 | 2,61,790 |
| 4 | 2405-00-101-03(SOON) | 7,07,127 | 3,38,815 |
| 5 | 2405-00-101-04(SOON) | 5,13,206 | 5,13,206 |
| 6 | 2405-00-101-04(SOON) | 44,42,500 | 29,43,500 |
| 7 | 2405-00-101-08(SOON) | 54,23,000 | 54,23,000 |
| 8 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 3,500 | 3,500 |
| 9 | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 67784 | 67,784 |
| 10 | 2405-00-796-05 | 0 | 0 |
| 11 | 2405-000789-02 | 0 | 0 |
| 12 | पैन्सन तथा अन्य, 115-सेवा उपदान, 01-लीव-ईन-कैशमैन्ट | 0 | 4,47,874 |
| | कुल जोड़: | 1,84,12,076 | 1,69,91,224 |

सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

| कं.सं. | मुख्य शीर्ष | स्वीकृत बजट (₹० में) | व्यय 31.03.2024 तक |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2405-मत्स्य पालन,001- निदेशक तथा प्रशासन, 02-जिला स्तर,(SOON) गैर-विकासात्मक | 75,32,970 | 74,01,866 |
| 2 | 2405-मत्स्य पालन,001- निदेशक तथा प्रशासन, 02-निदेशालय | 79,852 | 79,852 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| | स्तर,(SOON) गैर-विकासात्मक | | |
| 3 | 2405-मत्स्य पालन,101- अन्तदेशीय मत्स्यपालन, 0 2-जलाशयों का विकास एवं रख रखाव,(SOON) गैर-विकासात्मक | 2,76,081 | 2,76,004 |
| 4 | 2405-मत्स्य पालन,101- अन्तदेशीय मत्स्यपालन, 0 3-कीडा का मत्स्यपालन एवं रख रखाव,(SOON) विकासात्मक | 4,03,737 | 4,03,733 |
| 5 | 2405-मत्स्य पालन,101- अन्तदेशीय मत्स्यपालन, 0 4-कार्प फार्मो का विकास एवं रख रखाव,(SOON) विकासात्मक | 5,25,634 | 5,25,613 |
| 6 | 4405-मत्स्य पालन,0 0-101- अन्तदेशीय मत्स्यपालन, 0 4-कार्प फार्मो का विकास एवं रख रखाव,(SOON) विकासात्मक | 16,30,000 | 11,05,000 |
| 7 | 2059 लोक निर्माण कार्य, 0 1-कार्यालय भवन, 0 5 3-रख रखाव एवं मुरम्मत, 0 7-मत्स्य विभाग का रख रखाव योजना सून | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 8 | 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 6 0-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण,8 0 0-अन्य स्कीमें/कार्यक्रम 0 7-पैशनरों को चिकित्सा व्यय; गैर-विकासात्मक | 31,280 | 31,280 |
| 9 | 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 3,500 | 3,500 |
| 10 | 2405- Fishereis -796-Tribal Area sub Plan, 05-Extn. On fisheries under SCA,, for dispersed tribes, AooS(Developmental) | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 11 | 2405-Fisheris00-789-Special Component Plan For Scheduled Castes -020 Dev. Maintenance of carp farm SOON (Developmental) | 0 | 0 |
| | कुल जोड़: | 1,06,83,054 | 1,00,26,848 |

(x) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यकर्मों को लागू करने का तरीका तथा ऐसे कार्यकर्मों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xi) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xii) इलैक्ट्रोनिक रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

- ❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साईट <http://hpfisheries.nic.in> पर ली जा सकती है।
- ❖ विभाग की वैवसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xiii) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साईट <http://hpfisheries.nic.in> में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xiv) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :-

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

| अपील सम्बन्धी अधिकारी | पद और कार्यालय पता | अधीन (क्षेत्र/विषय) | ई-मेल का पता | दूरभाष/फैक्स नंबर |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|---|
| पहला अपील अधिकारी | निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश | सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश | fisheries-hp@nic.in | 01978-224068 (कार्यालय) 2233390 (घर) मोबाइल- 94180- 07615 |

राज्य स्तरीय

| पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. | पद और कार्यालय का पता | अधीन (क्षेत्र/विषय) | ई-मेल का पता | कार्यालय दूरभाष नंबर |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| पी.आई.ओ. | उप-निदेशक मत्स्य(मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश- 174001 | सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश | ddfisheries-bil-hp@nic.in | 01978-223212 (कार्यालय) |
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य(मु0) | सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश | adfisheries-bil-hp@nic.in | 01978-223212 (कार्यालय) |
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय) | सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश | adfisheriestp-bil-hp@nic.in | 01978-223212 (कार्यालय) |
| ए.पी.आई.ओ. | अधीक्षक घेड-I निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर | सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश | --- | 01978-223212 (कार्यालय) |

जिला स्तर

| कं.सं. | पद और कार्यालय का पता | अधीन (क्षेत्र/विषय) | ई-मेल का पता | कार्यालय दूरभाष नंबर |
|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| जिला बिलासपुर | | | | |
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर | जिला बिलासपुर | adfisheries1-bil-hp@gov.in | 01978-222568 (कार्यालय) |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस) | मत्स्य फार्म दियोली(घाघस) | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | उप-निरीक्षक मत्स्य, मान्दली | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, जगातखाना | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना | ... | ... |
| जिला मण्डी | | | | |
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी | जिला मण्डी | adf-mandi-hp@nic.in | 01905-235141 (कार्यालय) |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, मण्डी | कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, ट्राउट फार्म, वरोट, जिला मण्डी | ट्राउट फार्म, वरोट, जिला मण्डी | ... | ... |

| जिला कुल्लू | | | | |
|--------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------|
| पी.आई. ओ. | उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | जिला कुल्लू | ddfiseries-kul- hp@nic.in | 01902- 240163 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई.ओ. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू | इण्डो नौर्चे ट्राइट फार्मिंग प्रोजैक्ट पतलीकुहल | ... | 01902- 240163 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू | बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, हामणी, जिला कुल्लू | हामणी, जिला कुल्लू | ... | ... |
| पौंग डैम | | | | |
| पी.आई. ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा | जिला कांगड़ा | adfisheries-pong- hp@ nic.in | 01893- 201282 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, ज्वाली | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली | ... | ... |
| ए.पी. | मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला | मत्स्य लैडिंग | ... | ... |

| | | | | |
|------------|---|------------------------------------|-----|-----|
| आई.ओ. | कांगड़ा | केन्द्र, नन्दपुर | | |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, हरिपुर, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, हरिपुर | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, डाढा सिब्बा, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, डाढा सिब्बा | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, हरसर, जिला कांगड़ा | मत्स्य लैडिंग केन्द्र, हरसर | ... | ... |

जिला चम्बा

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा | जिला चम्बा | adfisheries-cha-hp@nic.in | 01899-223801 (कार्यालय) |
| ए.पी.आई.ओ. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा | जिला चम्बा | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, ट्राउट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा | ट्राउट फार्म, होली, | ... | ... |

हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| पी.आई.ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा | जिला कांगड़ा (पौंग जलाशय) और हमीरपुर | adfisheries-pal-hp@nic.in | 01894-231872 (कार्यालय) |
| ए.पी.आई.ओ. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर | जिला हमीरपुर | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर | जिला पालमपुर | ... | ... |
| ए.पी.आई.ओ. | उप-निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा | मत्स्य फार्म, कांगड़ा | ... | ... |

जिला किन्नौर और शिमला

| | | | | |
|--------|--------------|------------|----------------|-------|
| पी.आई. | सहायक निदेशक | जिला शिमला | adfish-sml-hp@ | 0177- |
|--------|--------------|------------|----------------|-------|

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|
| ओ. | मत्स्य, शिमला-5 | और किन्नौर | nic.in | 2830171 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई.ओ. | वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला | जिला शिमला | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी | ट्राउट फार्म, धमबाड़ी | ... | ... |
| ए.पी. आई.ओ. | मत्स्य अधिकारी, सांगला | ट्राउट फार्म, सांगला | ... | ... |

जिला सिरमौर और सोलन

| | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------------------|--|
| पी.आई. ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश | जिला सोलन और सिरमौर | adfiseries- sol-hp @nic.in | 01792- 229454 (कार्यालय) 01702. 224985 |
| ए.पी. आई.ओ. | जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन | जिला सोलन | | 01792- 229454 (कार्यालय) |
| पी.आई. ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर | जिला सिरमौर | adf-sir- hp@nic.in | 01702. 224985 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई.ओ. | लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर | जिला सिरमौर | adf-sir- hp@nic.in | 01702. 224985 (कार्यालय) |

जिला ऊना

| | | | | |
|--------------------|---|----------|------------------------------|--------------------------------|
| पी.आई. ओ. | सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश | जिला ऊना | adfiseries- una-hp@nic.in | 01975- 227792 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई. ओ. | जूनियर असिस्टेंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना | जिला ऊना | --- | 01975- 227792 (कार्यालय) |
| ए.पी. आई. ओ. | उप-निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना | जिला ऊना | ... | 01975- 227792 (कार्यालय) |

**वर्ष 2023-24 में सेवा निवृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2023-24 की सेवा
निवृतियां (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक)**

| कं.सं. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | सेवा निवृति वर्ष 2023-24 |
|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Sat pal Mehta | Director-cum-Warden of Fisheries | 30/06/2023 |
| 2. | Santosh kumar | Fisheries Field Assistsant | 31/07/2023 |
| 3. | Bhupinder Singh | Fisheries Field Assistsant | 31/01/2023 |
| 4. | Sita Devi | Peon | 30/09/2023 |
| 5. | Jagdish Thakur | Superintendent Grade-1 | 31/10/2023 |
| 6. | Rajesh Kumar | Farm Assistant | 31/10/2023 |
| 7. | Kashmir Singh | Fishermen | 31/10/2023 |
| 8. | Neelam Devi | Peon | 30/11/2023 |
| 9. | Suresh Kumar | Fishermen | 30/11/2023 |
| 10. | Sheer Chand | Fisheries Field Assistsant | 29/02/2024 |
| 11. | Bhupinder Kumar | Deputy Director Fisheries | 31/03/2024 |
| 12. | Roshan Lal | Fisheries Field Assistsant | 31/03/2024 |
